

**सरकारी कार्यालयों में
हिन्दी कार्यान्वयन में
अनुवाद की भूमिका एवं
शब्दावली**

**रेवा शर्मा
उप-निदेशक (राजभाषा)**

संविधान में राजभाषा हिन्दी

हमारे देश को आजादी मिलने के उपरांत देश के संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को केंद्र सरकार की राजकाज की भाषा अंगीकार करके हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के संविधान के भाग 5(120), भाग 6(210) वें के विभिन्न उपबंधों में राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें ।

अष्टम अनुसूची (अनुच्छेद 344(1) और 351)

1. असमिया
2. उड़िया
3. उर्दू
4. कन्नड़
5. कश्मीरी
6. गुजराती
7. तमिल
8. तेलगू
9. पंजाबी
10. बंगला
11. मराठी
12. मलयालम
13. संस्कृत
14. सिंधी
15. हिन्दी
16. नेपाली
17. कोंकणी
18. मणिपुरी
19. बोडो
20. संथाली
21. मैथिली
22. डोगरी

भारत के संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया । इस भावना को साकार करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया।

राजभाषा द्वारा पारित किए गए राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू करने के लिए सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1976 (यथा संशोधित 1987) बनाए जिसे राजभाषा नियम 1976 कहा जाता है । इन अधिनियमों के अंतर्गत कार्यालय का सारा काम काज किया जाता है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें सरकारी कार्यालयों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले तमाम कार्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सरकारी कार्यालयों में इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति एवं राजभाषा अधिनियमों का पालन करने के लिए अनुवादक , सहायक निदेशक (राजभाषा), उपनिदेशक (राजभाषा) के पद सृजित किए गए हैं ।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)

सामान्य आदेश -	General Order
अधिसूचनाएं -	Notification
प्रेस विज्ञप्तियाँ / टिप्पणियाँ -	Press Release / Noting
संविदाएं -	Contracts
करार -	Agreement
लाइसेंस -	License
परमिट -	Permit
टेंडर -	Tender
संकल्प -	Resolution
नियम -	Rules

संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज पत्र (रिपोर्टों के अलावा) –

Official paper laid before a house or both the houses of Parliament (other than reports)

संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें –

Administrative and other reports laid before a house or both the houses of Parliament

प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजी गईं। -

Administrative or other reports sent to higher offices.

अतः कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन करने के लिए प्रायः अनुवादक की शरण में जाना पड़ता है। इन दस्तावेजों को आप द्विभाषी रूप में तभी प्रस्तुत कर सकेंगे यदि आपके कार्यालय में अनुवादक है।

अनुवाद की भूमिका

अब यहाँ हमें अनुवादक का सहारा लेना पड़ता है चूंकि यहाँ बात हम सरकारी कार्यालयों में होने वाले कार्य की कर रहे हैं अतः हम अनुवाद के विस्तार में ना जाते हुए सरकारी कार्यों में होने वाले कार्य तक सीमित रहेंगे ।

यानि कार्यालयी अनुवाद

कार्यालयी अनुवाद :- विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में अँग्रेजी से हिन्दी में किया जाता है । ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे बैंकों से सम्बद्ध अनुवाद, न्यायालयों से सम्बद्ध अनुवाद, रेलवे आदि ।

सरकारी कार्यालयों में होने वाले अनुवाद की विशेषताएँ

अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री प्रायः अभिधा प्रधान होती है । सर्जनात्मक साहित्य जैसे कि कविता, नाटक, कहानी आदि की तरह इसमें लक्षण व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है जैसे -

Copy of the letter referred above is sent herewith.

उल्लिखित पत्र की प्रति इसके साथ भेजी जा रही है ।

In the absence of any rules past practice is the law.

नियमों के अभाव में पिछली परिपाटी कानून है ।

दूसरी विशेषता यह होती है इसमें प्रायः परिभाषित शब्दों का प्रयोग अनिवार्यतः होता है । पारिभाषिक शब्द प्रत्येक विषय के अनुसार अलग अलग होते हैं । जैसे

cell - जीव विज्ञान - कोशिका

जेल - जेल का कमरा

Cell - बैटरी - मोबाइल फोन

Statistics- सांख्यिकी

General- सामान्य

General Election- आम चुनाव

Director General- महानिदेशक

General Section - सामान्य अनुभाग

Auditor General - महालेखाकार

General Army - जर्नल

Interest - बैंक में ब्याज - सामान्य रूप से रुचि - दिलचस्पी

अब अनुवादक की यह जिम्मेदारी है कि वह हिन्दी का प्रति शब्द विषयानुसार चुने । एक ही अँग्रेजी शब्द के अलग अलग हिन्दी पर्याय प्रयुक्त होते हैं तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है ।

विदेशी भाषाओं के शब्द :-

सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली कार्यालयी भाषा में अरबी, फारसी के शब्द आए हैं

जैसे :-

हलफनामा मुहर्रिर, दाखिला, खारिज, कानूनी आदि।
अँग्रेजी से आए शब्द :- जज, बैंक , चैक, पोस्ट ऑफिस,
पासबुक, फीस, स्टोर, आदि ।

आधुनिक काल में संस्कृत शब्दों, उपसर्गों एवं प्रत्ययों से शब्द बने जैसे निवेश, ऋण, अशोधय ऋण, क्षतिपूर्ति आदि ।

आम जनता से आए शब्द :- आढ़त,हुंडी, ठेका, आदि ।

वेतन वृद्धि ठीक है न कि तनख्वाह वृद्धि
मूल्य वृद्धि ठीक है न कि कीमतों में वृद्धि
कार्यालय के अधिकारी ठीक हैं न कि दफ्तर
के अधिकारी ।

मिलेजुले अर्थात् संकर या मिश्रित जैसे :-
एकमुश्त, अनुसूचित बैंक, प्रेषण, क्लर्क,
जिलाधीश सूचना ब्योरो आदि ।
संतुलन होना अनिवार्य है ।

कुछ अन्य बातें

A line in reply will be highly appreciated.

उत्तर में एक पंक्ति प्रशंसित रहेगी ।

उत्तर देकर अनुग्रहीत करें । उत्तर देने की कृपा करें । उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी ।

The existing rules regulating the issue of identity card interali'a provide that loss of identity card would entail a penalty of rupees five. It has now been decided to raise the amount to rupees ten.

पहचान पत्र जारी करने से सम्बद्ध वर्तमान नियमों में अनसार पहचान पत्र खो जाने पर पाँच रुपए अर्थदण्ड के रूप में देना होता है । अब यह राशि बढ़ाकर दस रुपए कर देने का निश्चय किया गया है ।

कछ शब्द छोड़ गए हैं किन्तु कथ्य तरह और स्पष्ट रूप में व्यक्त हुआ है ।

Under process - कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यालय में जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं वह भाषा पूरी तरह से एकार्थी होनी चाहिए, अनेकार्थी नहीं ।

Ram was sentenced to death for the cold blood murder of his friend by justice K.V. Shukla.

इससे एक अर्थ यह भी निकलता है कि हत्या न्यायाधीश ने की पर मूल कथ्य ऐसा नहीं है ।

शब्दावली

शिक्षा मंत्रालय ने सन 1952 में विभिन्न विषयों में तकनीकी शब्दावली के निर्माण के काम आरंभ करने के लिए हिन्दी अनुभाग खोला जो शीघ्र ही मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग के रूप में विकसित हुआ और अंत में सन 1960 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय बन गया । निदेशालय ने विभिन्न विषयों में तैयार किए गए सारे शब्दों को समेकित करके सन 1962 में समेकित तकनीकी शब्दावली का खंड प्रकाशित किया । तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए सरकारी विभागों तथा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों विद्वान तथा भाषा विद के सहयोग से वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह के नाम से प्रकाशित किया गया और इसके प्रयोग की सिफारिश की गई ।

प्रत्येक विभाग मंत्रालय अपने कार्यों के अनुसार शब्दावली का चयन करता है । प्रशासनिक विभाग प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं । वहीं वैज्ञानिक एवं तकनीकी किस्म के विभागों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है । इस तरह से अनेक प्रकार की शब्दावलियाँ अस्तित्व में आईं । जैसे कृषि विज्ञान शब्दावली, इंजीनिरिंग शब्दावली, मौसम विज्ञान शब्दावली, जीव विज्ञान शब्दावली, भौतिक विज्ञान शब्दावली, गणित से जुड़ी शब्दावली । अपने अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए शब्दावली का उपयोग करना चाहिए । उदाहरण के लिए मौसम विज्ञान में उपग्रह से संबन्धित उपकरण साउंडर का हिन्दी अर्थ परिज्ञापी है किन्तु इसका एक अर्थ सूअर का बच्चा भी होता है । अतः शब्दावली का उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए । क्योंकि संदर्भ के बदलते ही शब्दों के अर्थ भी बदल जाया करते हैं ।

धन्यवाद